पत्र सं 1/2(55)2015-रा.म.आ.(प्रशा.)

राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र

नई दिल्ली-110025

(प्रशासन अनुभाग)

२७, सितम्बर, 2017

रिक्ति सूचना

कानूनी आयोग के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधिक रक्षोपायों से संबंधित विषयों पर कार्यवाही करने, विद्यमान विधानों का पुर्नविलोकन और उनमें संशोधन की सिफारिश करने, महिलाओ के अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतों पर विचार करने और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित सभी अधिनियमित विधानों के उचित कार्यान्वयन को मॉनीटर करने जिससे कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकें और विकास की प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें, की गई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग चयनित/चिह्न्ति मनोरोग संस्थाओं में महिलाओं की दशा को मानीटर करने के लिए विशेष संवक्ताओं (रिपोर्टरों) को नियुक्त करने की प्रस्थापना करता है, आरंभ में ये नियुक्तियां संविदा के आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 90000 रूपये (नब्बे हजार रूपये) के समेकित मानदेय के आधार पर की जाएगी और इस मानदेय के अन्तर्गत निरीक्षण क्षेत्र के स्तर पर कार्य को सुकर बनाने के लिए सचिवीय और अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित है। पात्र अभ्यर्थी तारीख 12-10-2017 तक विहित प्रारूप में अपना सार-वृत्त अवर सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025 को प्रेषित कर सकते हैं। सभी पदों की तैनाती नई दिल्ली में की जाएगी ।

विशेष संवक्ताओं (रिपोर्टरों) की नियुक्ति के लिए आवेदन रूपविधान (फार्मेट)/ अन्य पात्रता कसौटी और पारिश्रमिक निम्नलिखित हैं

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की सं.	पात्रता कसौटी
1.	संवक्ता (रिपोर्टर)	3	**आवश्यक अर्हता:** ऐसा व्यक्ति जिसने भारत सरकार या राज्य सरकार में ज्येष्ठ पद धारित किया है या ऐसा ख्यातिप्राप्त अकादमी का सदस्य या प्रख्यात व्यक्ति है जिसके पास लिंग(जेंडर) और मानवीय अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है या डोमेन विशेषज्ञ। **पदावधि:** प्रथम तीन मास के अंत में किए गए कार्य की प्रगति और इसके पश्चात् प्रत्येक छह मास के अन्तराल पर किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा के अधीन रहते हुए, आरंभ में ये नियुक्तियां संविदा के आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 90000 रूपये (नब्बे हजार रूपये) के समेकित मानदेय के आधार पर की जाएगी और इस मानदेय के अन्तर्गत निरीक्षण क्षेत्र के स्तर पर कार्य को सुकर बनाने के लिए सचिवीय और अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित है।

उद्देश्य:

संवक्ता (रिपोर्टर) की प्राथमिक जिम्मेदारी आयोग द्वारा चिह्नित किए गए चयनित मनोरोग संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति और दशा सुधारने के संबंध में ‘‘परीक्षा, मानीटर, मूल्यांकन, सलाह और रिपोर्ट’’ देने की है और ‘‘विशेष प्रक्रियाओं द्वारा किए गए क्रियाकलाप’’ जैसे कि दौरा करना और चिह्नित संस्थाओं के सहयोग से अपेक्षित कार्य करना और लिंग(जेंडर) दृष्टिकोण से उद्भुत होने वाले विवाद्यकों पर सलाह देना ।

(1) परियोजना के दौरान समय-समय पर मनोरोग संस्थाओं का दौरा करना और आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(2) ऐसी संस्थाओं में भर्ती महिलाओं के लिए निवास की परिस्थितियों और उनमें सुधार करने के लिए निरीक्षण करना और जिससे समयबद्ध कार्यान्वयन हो सके। नियमित आधार पर मानीटर करने और अनुपोषण प्रगति के लिए अस्पतालों/संस्थाओं के साथ पत्र-व्यवहार करना ।

(3) अस्पताल प्राधिकारियों और स्थानीय सरकार के साथ बातचीत करके लम्बे समय तक भर्ती रहने वाली महिलाओं के लिए आधार-कार्ड के विवाद्यक पर कार्यवाही करना और निशक्तत: फायदों आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करना तथा राज्य में चालू पुनर्वास सुविधाओं के बारे में स्त्रोत की योजना को सुकर बनाना ।

(4) पुनर्वास और लम्बी अवधि तक भर्ती रहने वाली महिलाओं की छुट्टी करने की योजना की बाबत समीक्षा करना ।

(5) ऐसी महिलाओं का स्थिति के बारे में समीक्षा करना जिन्हें उनके परिवार को सौंप दिया गया है। त्रैमासिक आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए आनुकल्पिक आश्रय गृहों की समीक्षा करना ।

(6) मनोरोग संस्थाओं से जिन महिलाओं की छुट्टी कर दी गई है उनके लिए उपयुक्त निवास स्थान/व्यावसायिक सुविधाओं को स्थापित करने की सुविधा के लिए राज्य सरकार के संबंधित कृत्यकारियों और अन्य मुख्य योजनाकारों/सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ विचार-विमर्श करना ।

(7) कोई अन्य विषय जिसका विनिश्चय आयोग द्वारा किया जाए ।

(8) किसी संवक्ता (रिपोर्टर) से यह अपेक्षित है कि वह, अस्पताल/संस्था का दौरा उससे पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, जिसके लिए निहित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है, कर सकेगा ।

Sd/-
(आर.सी. आहूजा)
अवर सचिव

प्रोफार्मा

(1) नाम :

(2) टेलीफोन नं. के साथ डाक पता :

(3) जन्म की तारीख :

(4) शैक्षणिक अर्हताएं :

(5) विशेष अर्हता, यदि कोई है :

(6) कम्प्यूटर/आई.टी. का कार्यकारी ज्ञान :

(7) आहरित वेतन के साथ विगत सेवाओं के ब्यौरे :

(8) विद्यमान पद का नाम और नियोजक, यदि कोई है :

(9) नियुक्ति की प्रकृति :

(10) वेतनमान :

(11) किए गए कर्तव्यों की प्रकृति (संक्षेप में) :

(12) टिप्पणी (यदि कोई है) :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

(टिप्पणी : अपेक्षित जानकारी देने के लिए अतिरिक्त शीट संलग्न करें) ।

F.No.1/2(55)/2015-NCW(A)
National Commission for Women
Plot No.21, Jasola Institutional Area,
New Delhi – 110 025
(Admin. Section)

20, **September, 2017**

Vacancy Notice

The National Commission for Women (NCW) has been established as a statutory Commission for dealing with matters relating to constitutional and legal safeguards provided for women, to review the existing legislations and suggest amendments thereto, to look into the complaints involving deprivation of the rights of women and monitor proper implementation of all legislations enacted to protect the rights of women to enable them to achieve equality in all spheres of life and equal participation in the developmental process.

The National Commission for Women proposes to engage Special Rapporteurs for monitoring condition of women in selected/identified psychiatric institution on contract basis initially for a period of two year or up to the age of 70 years whichever is earlier on consolidated monthly honorarium of Rs.90,000/- (Rupees ninety thousand only) including reimbursement for secretarial or other expenses for facilitation of work at field level. The eligible candidates may forward resume in the prescribed format latest by 12.10.2017 to Under Secretary, National Commission for Women, Plot No.21, Jasola Institutional Area, New Delhi – 110 025. All the positions are based in New Delhi.

Application format /other Eligibility Criteria & remuneration for engagement of Special rapporteurs is as under :

S. No.	Name of the Post	No. of Posts	Eligibility Criteria
1.	Rapporteurs	3	**Essential Qualification:** A person who has held senior posts in Government of India or State Government or is an academician of repute or an eminent person who has knowledge of, or practical experience in, matters relating to gender and human rights or a domain expert. **Tenure:** Initially for a period of two year or upto the age of 70 years whichever is earlier on consolidated monthly honorarium of Rs.90,000/- (Rupees ninety thousand only) including reimbursement for secretarial or other expenses for facilitation of work per month subject to review of the progress of work done at the end of first three months and at every six monthly intervals thereafter.

Objective:

The Primary responsibility of the Rapporteur is to "examine, monitor, evaluate, advise and report" on status and condition of women for ameliorating their condition in selected psychiatric institutions identified by the Commission and report their progress through "activities undertaken by special procedures, conducting visits and providing advice on emerging issues from gender perspective in collaboration with identified institutions be required to undertake:

1) Visit to psychiatric institutions periodically during the course of the project and submit report to the Commission.

2) Carry out an inspection as to the time-bound implementation of improvement of living conditions and amenities for the women admitted to such institutions. Communicate with hospitals/institutions to monitor and support progress on regular basis.

3) Engage with hospital authorities and local government to follow up on the issue of Aadhar Cards for long stay residents, collect information about disability benefits, etc and facilitate resource mapping of current rehabilitation facilities in the State.

4) Review the rehabilitation and discharge plan for long-stay women.

5) Review the status of women who are discharged to their families/alternative shelters for a period of one year on a 3 monthly basis.

6) Engage with concerned functionaries of State Governments and other key planners/civil society organization to facilitate the setting up of suitable residential/vocational facilities for women discharged from the psychiatric institutions.

7) Any other matter as may be decided by the Commission.

8) A Rapporteur will be required to visit hospitals/institutions after obtaining prior approval for which the prescribed procedure will need to be followed.

Sd/-
(R.C. Ahuja)
Under Secretary

Proforma

1) Name :

2) Postal Address with Telephone Nos. :

3) Date of Birth :

4) Educational Qualifications

5) Special Qualification, if any :

6) Working knowledge of Computers/IT :

7) Details of past services with Salary drawn :
(Start from the post last held)

8) Name of the present post and employer, if any:

9) Nature of appointment

10) Scale of pay

11) Nature of duties performed (in brief)

12) Remarks (if any)

(Signature of the candidates)

Place

Date

(Note : Please attach additional sheets for providing required information).